कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है :—

1. केन्द्रीय और केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम
2. राज्य क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग क्षेत्र
3. विशेष कम्पोनेंट योजना और आदिवासी उप योजना के अन्तर्गत अन्य राज्य क्षेत्र कार्यक्रम
4. विशेष कम्पोनेंट योजना/आदिवासी उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता

गरीब परिवार के लोगों को अपने बच्चों को स्कूलों में भेजने के लिए प्रोत्साहन तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लड़कों के लिए हॉस्टल नामक दो नए कार्यक्रमों को 1988-89 से सिद्धांत रूप से स्वीकृति दे दी गई है, जिनके लिए मध्य प्रदेश सरकार को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाएगी ।

जहां तक अन्य पिछड़े वर्गों का संबंध है, मध्य प्रदेश में राज्य क्षेत्र कार्यक्रम (अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर पिछड़ा वर्ग क्षेत्र) के अन्तर्गत इन समूहों के कल्याण के लिए कुछ योजनाएं शुरू की गई है ।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को छात्रवृत्ति दिया जाना

3103. **श्री अजीत जोगी :**

श्री ठाकुर जगतपाल सिंह :

क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक अभिभावक के केवल दो बच्चे ही मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के पात्र हैं और क्या सरकार दो से अधिक बच्चों के लिए आधी छात्रवृत्ति देने का विचार रखती है ; और क्या यह सीमा 1980 से 1990 तक ही लागू है ; यदि हां, तो क्या सरकार इस समय सीमा में ढील देने का विचार रखती है ;

(ख) क्या आयुर्वेद और आयुविज्ञान के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि के मामले में कई विसंगतियां हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इन पाठ्यक्रमों के लिए समान छात्रवृत्ति देने का विचार रखती है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति ओरांव) : (क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत एक ही माता-पिता के केवल दो बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करने की प्रतिबंधक धारा में उन लड़कियों के पक्ष में जो मानदंडों के अन्तर्गत शामिल नहीं थी, छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए छूट दी गई थी और न कि 1990 तक । इस समय एक ही माता-पिता के दो से अधिक बच्चों को आधी छात्रवृत्ति देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) छात्रवृत्ति की दरें एक दूसरे पाठ्यक्रम से अलग-अलग होती हैं जो चिकित्सा, आयुर्वेदिक आदि जैसे प्रत्येक पाठ्यक्रम में अन्तर्ग्रस्त लागत पर निर्भर करती हैं ।

अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए छात्रावासों/आश्रमों का निर्माण

3104. **श्री अजीत जोगी :**

ठाकुर जगतपाल सिंह :

क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'हरिजन लड़के और लड़कियों के लिए छात्रावासों/आश्रमों के निर्माण हेतु कोई केन्द्रीय सहायता दी जाती है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये उपलब्ध कराई गई सहायता की राशि क्या है ; और

(ग) क्या सरकार उक्त उद्देश्य के लिए किसी प्रकार की वित्तीय सहायता देने का विचार रखती है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति ओरांव) : (क) राज्य सरकारों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के लिए होस्टल की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के लिए होस्टल भवन निर्माण/विस्तार करने के लिए 50:50 के आधार पर केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है । वर्ष 1988-89 से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लड़कों के लिए इसी प्रकार की योजना को सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया गया है ।

(ख) और (ग) गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए होस्टलों की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई :—

(रु. करोड़ों में)

1985-86	1986-87	1987-88
1.67	3.15	3.50

वर्ष 1988-89 के दौरान इस योजना के लिए 3.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है ।

भोपाल में कन्साइनमेंट एजेंसी स्टाक यार्ड का खोला जाना

3105. **ठाकुर जगतपाल सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड ने भोपाल में एक कन्साइनमेंट एजेंसी स्टाक यार्ड खोलने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक इस निर्णय को क्रियान्वित न किए जाने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

Construction of Nagarjuna Fertiliser Project

3106. SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the progress of the construction of Nagarjuna Fertiliser project;

(b) whether the construction work is under schedule;

(c) by when it is likely to start production; and

(d) the funds spent so far on this project and its production capacity?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF FERTILIZERS IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI R. PRABHU): (a) Environmental clearance for setting up the plant at Kakinada has been obtained. Implementation of the project is under way and various steps like acquisition of land, site development, soil investigation, approach roads, route survey work for railway siding, are being taken. Foreign collaboration agreement for licence and engineering services has been approved by the Government.

(b) Yes, Sir.

(c) Commercial production is expected to start by July, 1991.

(d) The project authorities have incurred an expenditure of Rs. 43.27 crores as on 31-7-1988. The licensed capacity of the project is 1500 tonnes per day of urea..

Buffer stock of foodgrains

3107. SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state: